तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **दीवानी वाद सख्या 17/2014** **सीआईएस संख्या 204/2015** **डॉ. कृष्ण बिहारी गर्ग बनाम उषा अग्रवाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.25	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। नकल दिलाई गयी। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय ने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की। दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रतिवादीया सं. 25 श्रीमती नारंगी देवी की दिनांक 29.09.2025 को मृत्यु हो चुकी है तथा श्रीमती नारंगी देवी के वारिसान प्रतिवादी सं. 26 से 33 के रूप में पूर्व से रिकॉर्ड पर है तथा जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से कोई भी उपस्थित नहीं है तथा वादी को मृतका प्रतिवादीया श्रीमती नारंगी देवी के वारिसान के विरूद्ध वादकारण उसकी मृत्यु पर भी हासिल है तथा वारिसान चूंकि पूर्व से रिकॉर्ड पर है। अतः प्रतिवादीया नारंगी देवी के नाम के आगे मृतका शब्द अंकित किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीया सं. 5 की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण में नारंगी देवी की मृत्यु होने के सम्बंध में कोई भी दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जब तक पूर्व में अमल में लायी गयी एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त नहीं की जाती एवं विधिक वारिसान का ब्यौरा नहीं दिया जाता, प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादीया सं. 25 श्रीमती नांरगी देवी का दिनांक 29.09.25 को देहान्त होना व प्रतिवादी सं. 26 से 33 उसके वारिसान होकर पूर्व से रिकॉर्ड पर होने से प्रतिवादीया नारंगी देवी के नाम के आगे मृतका अंकित करने बाबत निवेदन किया गया है। जहां तक कोई दस्तावेज नारंगी देवी की मृत्यु बाबत पेश नहीं करने का प्रश्न है, चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीया सं. 5 के अलावा शेष समस्त पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है तथा वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः इस स्तर पर खण्डन में कोई भी काउण्टर एफिडेविट पेश नहीं होने व मृतका के प्रार्थना पत्र में वर्णित विधिक वारिसान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में होने से वादी के कथनों का कोई खण्डन नहीं होना पाया जाता है तथा साथ ही यह स्पष्ट	

	किया जाता है कि यदि वादी द्वारा कोई मिथ्या कथन किये गये हो, तो उसके विरूद्ध संबंधित पक्षकार विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। अतः बाद गौर उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में न्यायोचित प्रतीत होने से वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीया सं. 25 श्रीमती नारंगी देवी के नाम के आगे मृतका शब्द अंकित करने का आदेश दिया जाता है, जो कि लाल स्याही से लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली जवाब दावा पेश करने हेतु नियत की जाती है। जिस बाबत समय चाहा गया। प्रकरण टार्गेट पत्रावली है। अंतिम अवसर दिया जाता है, आईन्दा आवश्यक रूप से जवाब दावा पेश करे। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब दावा हेतु दिनांक 02.12.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर जिला न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	